दिनांक–30.01.2023 के पूर्वाह्न 11:00 बजे पचवाड़ा साउथ कोल ब्लॉक, गोपीकान्दर, जिला–दुमका में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–45(1) के तहत उपायुक्त, दुमका की अध्यक्षता में आयोजित पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः–

1. उपायुक्त, दुमका।
2. माननीय सांसद, राजमहल संसदीय क्षेत्र।
3. माननीय विधायक, लिट्टी पाड़ा विधानसभा क्षेत्र।
4. माननीय मुखिया, ओड़मो पंचायत, गोपीकान्दर।
5. जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, दुमका।
6. निदेशक, खान (एन0एल0सी0आई0एल0)
7. प्रबन्धक, जिला अग्रणी बैंक, दुमका।
8. प्रबन्धक, पी0एस0सी0एम0पी0(एन0यू0पी0पी0एल0)
9. श्रीमती नमिता देवी (महिलाओं की प्रतिनिधि) मौजा–कुंडापहाड़ी।
10. श्री मांझी हांसदा,(अनु0जा0/अनु0ज0जा0 के प्रतिनिधि) मौजा–महुलडाबर।
11. श्री डेविड मरांडी, (अनु0जा0/अनु0ज0जा0 के प्रतिनिधि) मौजा–चिरूडीह।
12. श्री ब्रेन मरांडी,(अनु0जा0/अनु0ज0जा0 के प्रतिनिधि) मौजा–कुण्डापहाड़ी।
13. श्री शशि कुमार चौरसिया, कार्यपालक प्रदान (प्रखंड स्तर पर स्वैच्छिक संगठन के प्रतिनिधि)
14. श्रीमति मरिला मरांडी, मौजा–कुण्डापहाड़ी, प्रदान (क्षेत्रीय स्तर पर स्वैच्छिक संगठन के प्रतिनिधि)

सर्वप्रथम उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन समिति के द्वारा नैयवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड के द्वारा पचवाड़ा साउथ कोल ब्लॉक, गोपीकान्दर, दुमका के लिए प्रस्तावित परियोजना में भू–अर्जन से प्रभावित हितबद्ध रैयतों को पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन का लाभ उपलब्ध कराने हेतु प्रखण्ड सभागार, गोपीकान्दर में आयोजित बैठक में सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए परिचय प्राप्त किया गया।

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष महोदय द्वारा मुख्य महाप्रबंधक, नैयवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड से यह अपेक्षा की गयी कि पचवाड़ा साउथ कोल ब्लॉक, गोपीकान्दर, दुमका के लिए विस्थापित हो रहे ग्रामीण /हितबद्ध व्यक्तियों के विकास तथा उत्थान की दिशा में कम्पनी की ओर से कौन–कौन सी पुनर्व्यवस्थापन एवं पुनर्वास की योजनाएं तैयार की गयी है, इस पर विस्तार से प्रकाश डाला जाए।

प्राप्त निदेश के आलोक में निदेशक, खान, (एन.एल.सी.आई.एल.) ने एन.एल.सी. इंडिया लिमिटेड और उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड के बारे में तथा इस कंपनी के द्वारा सफलतापूर्वक संचालित पूर्व की परियोजनाओं की विस्तार से जानकारी दी।

मुख्य महाप्रबंधक, पी.एस.सी.एम.पी., नैयवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड द्वारा Power Point presentation के माध्यम से परियोजना अन्तर्गत प्रस्तावित देयताओं , व्यवस्थाओं एवं आगामी

क्रिया–कलापों पर प्रस्तुतिकरण दिया गया। पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन के अन्तर्गत परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए प्रस्तावित मुआवजा तथा लाभ की सूची निम्नवत है–

पचवाड़ा साउथ कोल ब्लॉक, गोपीकान्दर, दुमका परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए प्रस्तावित मुआवजा एवं आर एंड आर के तहत देय लाभ			
क्रमांक	**प्रस्तावित पुनर्व्यवस्थापन एवं पुनर्वासन लाभ की श्रेणियाँ**	**आर एंड आर के तहत् परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए प्रस्तावित मुआवजा**	**समिति की सिफारिशें**
1.	रोजगार	➢ खदान डेवलपर और ऑपरेटर के अधीन नौकरी अथवा ➢ रोजगार के बदले एकमुश्त राशि, प्रति एकल परिवार 5 लाख रूपये। अथवा ➢ रू. 3000/–प्रति माह प्रति एकल परिवार को 34 वर्षों के लिए या खदान चलने तक रू 500/– की द्विवार्षिक वृद्धि के साथ।	➢ समिति द्वारा पूछा गया कि खदान डेवलपर और ऑपरेटर के अधीन नौकरी में कितना वेतन दिया जाएगा? समिति के सदस्यों द्वारा चर्चा के दौरान बताया गया कि नौकरी 15,000.00 रूपये की मांग की गई। सांसद महोदय का कहना है कि 18 वर्ष के उपर व्यक्तियों को कम से कम 15,000.00 रूपये की नौकरी मिलना ठीक है। साथ ही सभी 18 वर्ष योग्य व्यक्तियों को ट्रैनिंग देने की बात कहा गया तथा 18 से 60 वर्ष तक के व्यक्तियों को Requirement के हिसाब से नौकरी देने की बात कही गयी। जिसे एन.यू.पी.पी.एल. के द्वारा सहमति स्वीकार किया गया। नौकरी की प्राथमिकता पर बल दिया गया। अध्यक्ष –सह– उपायुक्त महोदय द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में नियमानुसार रोजगार तथा रोजगार हेतु वांछित कौशल संवर्द्धन के प्रस्ताव को कंपनी द्वारा स्वीकार कर लिया गया। ➢ एन.यू.पी.पी.एल. द्वारा बताया गया कि खनन कंपनी के लिए श्रम एवं नियोजन मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा निर्धारित दर के अनुसार वेतन दिया जाएगा। इस बिन्दु पर समिति द्वारा सहमति संसूचित की गयी। अथवा ➢ रोजगार के बदले एकमुश्त राशि, प्रति एकल परिवार 5 लाख रूपये पर समिति के सदस्यों द्वारा सहमति दी गयी। अथवा ➢ समिति द्वारा रू. 3000/–प्रति माह को बढ़ाकर रू.

			4000/–प्रति माह प्रति एकल परिवार को 34 वर्षों के लिए या खदान संचालित रहने तक, रू. 500/– की द्विवार्षिक वृद्धि के साथ दिए जाने का प्रस्ताव दिया गया जिसे एन.यू.पी.पी.एल. के द्वारा स्वीकार किया गया।
2.	आवास	➢ पुनर्वास और पुनर्स्थापन कॉलोनी में प्रत्येक एकल परिवार को 3049.2 वर्ग फुट (07 डी.) भूमि पर 1000 वर्गफुट का एक बना–बनाया घर उपलब्ध कराया जाएगा अथवा ➢ घर के बदले एकमुश्त राशि कुल रूपये 24.07 लाख दिया जाएगा।	➢ समिति के द्वारा अपनी सहमति इस संदर्भ में संसूचित की गयी।
3.	घर की संपत्ति के स्थानान्तरण के परिवहन लागत।	➢ रूपये 50,000/– की एकमुश्त वित्तीय सहायता विस्थापित परिवार को दी जाएगी।	➢ समिति के द्वारा अपनी सहमति इस संदर्भ में संसूचित की गयी।
4.	मवेशी शेड का मुआवजा।	➢ मवेशी शेड का मुआवजा रू. 25,000/–दिया जाने का प्रावधान है।	➢ समिति द्वारा मवेशी शेड के मुआवजे की राशि को रू. 25,000 से बढ़ाकर नियमानुसार उस राशि को रू. 50,000 करने का प्रस्ताव दिया गया जिसे एन.यू.पी.पी.एल. के अधिकारियों द्वारा सहमति प्रदान की गयी।
5.	प्रभावित परिवार जिनके पास गुमटी या अपनी दुकान है।	➢ एकमुश्त वित्तीय सहायता रू. 25,000/– का प्रावधान है।	➢ समिति के द्वारा अपनी सहमति इस संदर्भ में संसूचित की गयी।
6.	एकमुश्त पुनर्वास भत्ता	➢ एकमुश्त रू. 50,000 दिया जाएगा।	➢ समिति के द्वारा अपनी सहमति इस संदर्भ में संसूचित की गयी।
7.	कारीगरों, छोटे व्यापारियों और कुछ अन्य लोगों को एकमुश्त अनुदान	➢ एकमुश्त वित्तीय सहायता रूपये 25,000/–	➢ आवश्यक चर्चा के आधार पर लिये गये निर्णय के आधार पर समिति के सदस्यों द्वारा अपनी सहमति संसूचित की गयी।
8.	निर्वाह/गुजारा भत्ता	➢ 12 महीने के लिए प्रति परिवार प्रतिमाह 3000 रूपये तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परिवारों को रूपये 2,00,000/– एकमुश्त राशि दी जाएगी।	➢ समिति द्वारा 12 महीने के लिए प्रति परिवार प्रतिमाह 3000 रूपये के साथ–साथ बिना भेद–भाव के सभी विस्थापित परिवारों को एकमुश्त राशि रूपये 2,00,000/–रूपये दिए जाने का सुझाव दिया गया जिसे एन.यू.पी.पी.एल के सक्षम प्राधिकार द्वारा मान लिया गया।
9.	स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क	➢ प्रभावित परिवारों को आवंटित भूमि या मकान के पंजीकरण के लिए देय स्टाम्प शुल्क और अन्य शुल्क PSCMP द्वारा वहन किया जाएगा।	➢ सम्यक विचारोपरान्त समिति के सदस्यों द्वारा नियमानुसार कार्रवाई हेतु अपनी सहमति संसूचित की गयी।
10.	भूमि मुआवजा	➢ भूमि मुआवजा गणना की विधि– 1. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित	➢ प्रावधान वर्तमान में प्रचलित विधि के अनुकूल है। अतः समिति के

		सर्कल रेट। 2. ग्रामीण क्षेत्र के लिए भूमि के बाजार मूल्य का दुगुना। 3. भूमि तथा भवन से जुड़ी संपत्ति का मूल्य। 4. तोषण(Solatium) 2 और 3 के योग का@100% **नोट** :– प्रमंडलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका –सह– अध्यक्ष, अविक्रयशील कृषि भूमि न्यूनतम मूल्य निर्धारण समिति के अद्यतन दर पर भूमि का मुआवजा राशि दिया जायेगा।	सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर नियमानुसार कार्रवाई हेतु अपनी सहमति संसूचित की गयी।
11.	भूमि से जुड़ी संपत्ति का मुआवजा।	➢ जिला प्रशासन के दिशा निर्देश के अनुसार भूमि से जुड़ी संपत्ति का सर्वेक्षण कर उचित मूल्य निर्धारण कर मुआवजा का भुगतान किया जाएगा।	➢ समिति के सदस्यों द्वारा अपनी सहमति संसूचित की गयी।
12.	आर एंड आर कॉलोनी में सुविधाएं।	➢ इनमें सड़क, जल निकासी, प्रभावित परिवारों के लिए सुरक्षित पेयजल, मवेशियों के लिए पीने का पानी एवं चारागाह, उचित मूल्य की दुकानें, पंचायत भवन, ग्राम स्तरीय डाकघर, सार्वजनिक परिवहन, दफन या श्मशान के लिये भूमि, सामुदायिक शौचालय, बिजली कनेक्शन, आंगनबाड़ी, विद्यालय, स्वास्थ्य उप–केंद्र, सामुदायिक केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र , खेल का मैदान, पारंपरिक पूजा स्थल, पारंपरिक आदिवासी संस्थानों के लिए अलग भूमि, सुरक्षा व्यवस्था, पशुचिकित्सा केंद्र आदि सुविधाएं शामिल हैं।	➢ समिति के सदस्यों द्वारा आदिवासियों के पारंपरिक पूजा स्थलों जैसे–जाहेर–थान एवं मांझी–थान तथा अन्त्येष्टि हेतु कब्रिस्तान के संरक्षण तथा विकास की मांग रखी गयी जिसे कंपनी द्वारा मान लिया गया।

उपरोक्त के अलावे समिति के बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, जो निम्नांकित है :–

- ➢ सांसद महोदय ने बच्चो के शिक्षा के लिए पूछने पर कम्पनी द्वारा बताया गया कि केन्द्रीय विद्यालय का निर्माण किया जायेगा।
- ➢ फसल मुआवजा के बारे में राज्य सरकार का दर मान्य होगा।
- ➢ कम्पनी के द्वारा प्रभावित क्षेत्र सहित प्रखण्ड के विकास हेतु क्षेत्र के समग्र विकास पर विशेष कार्य करने की सहमति दी गयी।
- ➢ युवाओं के कौशल विकास तथा प्रशिक्षण के बिन्दु को ध्यान में रखते हुए लक्षित वर्ग (Target Group) को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण से जोड़ दिया जायेगा।
- ➢ विधायक महोदय ने वृद्धा पेंशन इत्यादि के संबंध में पूछने पर कंपनी की ओर से उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया।
- ➢ अध्यक्ष–सह–उपायुक्त द्वारा महिलाओं के रोजगार के लिए पत्ता–प्लेट बनाने, सिलाई ट्रैनिंग, नर्स ट्रैनिंग इत्यादि देने की बात कही। निदेशक, खान, एन.यू.पी.पी.एल. ने कहा कि वर्त्तमान में 20 महिला का सिलाई ट्रैनिंग चल रहा है। साथ ही, सिलाई

मशीन देने का प्रावधान है। ट्रैनिंग के पश्चात महिलाएँ कंपनी में कार्य करने वाले स्टाफ, कर्मी के लिए युनिफॉर्म तैयार करने का कार्य करेंगी।

- स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र के संबंध में सदस्यों के पूछने पर सांसद महोदय ने कहा कि जिस जगह पर पुनर्वासित किये जायेंगे। उसी जगह पर स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र एवं अन्य सारा कागजात बनेगा। साथ ही वहीं पर मालगुजारी रसीद भी कटेगा।
- उपायुक्त, दुमका के द्वारा उपस्थित सदस्यों को सुझाव दिया गया कि पुराना मालगुजारी रसीद अपने पास रखेंगे ताकि यह साक्ष्य होगा कि वर्ष 2023 तक आप लोग उसी स्थान के स्थानीय निवासी रहे हैं।
- कंपनी के द्वारा विस्थापित परिवारों के लिए कुल 06 ग्राम क्रमश : हेठसिंलगी, खरिकासोल, चुनजो, महुलडाबर, दुधापहाड़ी एवं मंजबेरा में आवासीय कॉलोनी निर्माण करने की बात कही गयी।
- उपस्थित सदस्यों द्वारा खनन के पश्चात् जमीन भरने के बाद जगह वापसी की स्थिति के बारे में पूछने पर कंपनी द्वारा कहा गया कि जमीन राज्य सरकार के पास रहेगा।
- किसी विशेष त्योहार/उत्सव के समय कम्पनी विस्थापितों का विशेष ख्याल रखेगी।
- गंभीर बीमारी के ईलाज के लिए राज्य सरकार से अनुरोध के पश्चात् CSR से 5,00,000.00 रूपये तक की राशि व्यवस्था की जा सकती है। कंपनी की ओर से कहा गया कि उपायुक्त के तरफ से अनुशंसा प्राप्त होने पर कम्पनी ईलाज हेतु अस्पताल की समुचित व्यवस्था करेंगे।
- कपनी के प्रोजेक्ट में काम करने वाले सभी 18–60 वर्ष के व्यक्तियों का बीमा करने की सहमति प्रदान की गई। कम्पनी की ओर से प्रभावित परिवारों के बीमा का प्रिमियम भरा जायेगा तथा बीमा कम्पनी के द्वारा नियमानुसार आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में 2,00,000.00 रूपये तथा स्वाभाविक मृत्यु की स्थिति में 1,50,000.00 रूपये की राशि उपलब्ध करायी जायेगी।
- भूमि पट्टा वालो को रैयत माना जायेगा। उन्हें भुगतान किया जायेगा। समिति द्वारा यह मांग की गई कि परियोजना प्रभावित परिवार जिनके पास जमीन का दस्तावेज नहीं है लेकिन लम्बे समय से गाँव में रह रहे हैं। उन्हें जमीन के लिए 1,00,000.00 रूपये, ढाँचों के लिए 2,00,000.00 रूपये मुआवजा दी जाय जिसे कम्पनी द्वारा सहमति प्रदान किया गया।
- सदस्यों द्वारा दिव्यांग जनों के लिए स्कूटी एवं कान का मशीन (Hearing Aid) की मांग की गई जिसे कम्पनी द्वारा स्वीकार किया गया।
- समिति द्वारा पूछा गया कि प्रभावित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों को उपलब्ध आरक्षण का लाभ सहित अन्य सभी लाभ यथा–जाति, आवासीय प्रमाण–पत्र, पुर्नवास क्षेत्र में जारी रहने संबंधी प्रश्न किया गया। उपायुक्त, दुमका ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि जब भी प्रभावित परिवार को दूसरे स्थान में स्थानान्तरित किया जाता है, उन्हें वैधानिक सुरक्षा उपायों हकदारियों और लाभों को भी उस क्षेत्र में विस्तारित किया जाता है, जहाँ उनका पुर्नवास किया गया है।

- समिति द्वारा पूछा गया कि तीनों प्रभावित गाँव में वन पट्टा दिया जायेगा कि नहीं। उपायुक्त, दुमका ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि उस के संबंध में विधि द्वारा स्थापित प्रबन्धनों के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
- उपायुक्त, दुमका ने पहाड़िया आवासीय उच्च विद्यालय, गोपीकान्दर ब्लॉक का जीर्णोद्धार करने के लिए एन.यू.पी.पी.एल. को अनुरोध किया, जिसे उन्होनें सहर्ष स्वीकार किया गया।
- उपायुक्त, दुमका ने महिलाओं के विकास के लिए उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार सृजन करने का सुझाव दिया। एन.यू.पी.पी.एल. ने बताया कि कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत् परियोजना प्रभावित गाँवों की महिलाओं को झारखंड टूल्स रूम, दुमका में प्रशिक्षित किया जा रहा है और यह प्रशिक्षण जारी रहेगा।
- समिति के द्वारा प्रभावित गाँव के ग्राम प्रधान की स्थिति के बारे में पूछने पर बताया गया कि ग्राम प्रधान का पद ज्यों का त्यों बना रहेगा।

निदेशक, खान, एन.यू.पी.पी.एल. के द्वारा अभिवादन किया गया एवं अच्छे से काम करने की गारंटी दी गयी।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

श्रीमति मरिला मरांडी,
मौजा–कुण्डापहाड़ी, प्रदान
(क्षेत्रीय स्तर पर स्वैच्छिक
संगठन के प्रतिनिधि)।

श्री शशि कुमार चौरसिया,
कार्यपालक प्रदान
(प्रखंड स्तर पर स्वैच्छिक
संगठन के प्रतिनिधि)।

श्री ब्रेन मराण्डी,
(अनु0जप0/अनु0ज0जा0 के
प्रतिनिधि)
मौजा–कुण्डापहाड़ी।

श्री डेविड मरांडी,
(अनु0जा0/अनु0ज0जा0 के
प्रतिनिधि) मौजा–चिरूडीह।

श्री मांझी हांसदा,
(अनु0जा0/अनु0ज0जा0 के
प्रतिनिधि) मौजा–महुलडाबर।

श्रीमती नमिता देवी
(महिलाओं की प्रतिनिधि)
मौजा–कुंडापहाड़ी।

प्रबन्धक,
पी0एस0सी0एम0पी0
(एन0यू0पी0पी0एल0)

30.01.2023
प्रबन्धक,
जिला अग्रणी बैंक,
दुमका।

निदेशक,
खान (एन0एल0सी0आई0एल0)

माननीय मुखिया,
ओड़मो पंचायत, गोपीकान्दर

माननीय विधायक,
लिट्टी पाड़ा विधान सभा क्षेत्र

माननीय सांसद,
राजमहल संसदीय क्षेत्र

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

ज्ञापांक–467 /जि.भू.अ., दुमका दिनांक–20.03.2023

प्रतिलिपि :– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोपीकान्दर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि उपरोक्त सभी समिति सदस्यों से तामिला कराने के पश्चात् तामिला प्रतिवेदन जिला भू–अर्जन कार्यालय, दुमका में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

उपायुक्त,
दुमका।